उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-103/2017/5518/30-3-17-6बी/2014

लखनऊ, दिनॉक 15 दिसम्बर, 2017

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 27-12-2016 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व पक्ष) में प्राविधानित धनराशि रू0 550.85 लाख (रू0 पांच करोड़ पचास लाख पचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-102/2017/30-3-17-6बी/2014, दिनॉक 05-12-2017 द्वारा जारी की गयी है, जिसमें टंकण त्रुटिवश "उक्त शासनादेश के द्वितीय पृष्ठ के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(4) की पहली पंक्ति में उल्लिखित लेखाशीर्ष-3055 की जगह लेखाशीर्ष-5055 अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश में उल्लिखित "द्वितीय पृष्ठ के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(4) की पहली पंक्ति में उल्लिखित **लेखाशीर्ष-5055 की जगह लेखाशीर्ष-3055 पढ़ा जाये।** तदनुसार शासनादेश संख्या-102/2017/30-3-17-6बी/2014, दिनॉक 05-12-2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

ह0
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-103 /2017/5518(1)/30-3-2017, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- वित्त, (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।